न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, खेतडी संख्या 01, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – प्रेम सिंह धनवाल
जिला न्यायाधीश संवर्ग

दीवानी नियमित अपील संख्या–13/2018

CIS NO. Civil Regular Appeal/13/2018

01. पालाराम पुत्र मुकन्दाराम, निवासी लाम्बी जाट, तहसील बुहाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधिगण

1/1 बीरबल पुत्र पालाराम, उम्र 65 वर्ष, निवासी लाम्बी जाट, तहसील बुहाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

1/2 श्रीमती लिछमा पुत्री स्व0 पालाराम पत्नी महताब, उम्र 57 वर्ष, निवासी लाम्बी जाट, तहसील बुहाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान हाल निवासी गहली, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा

1/3 श्रीमती भागो देवी पुत्री स्व0 पालाराम पत्नी धर्मपाल, उम्र 54 वर्ष, निवासी लाम्बी जाट, तहसील बुहाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान हाल निवासी गहली, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा

1/4 बसन्ती पुत्री स्व0 पालाराम पत्नी हीरालाल, उम्र 48 वर्ष, निवासी लाम्बी जाट, तहसील बुहाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान हाल आबाद ढाणी बाया तन सिरोही, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा

02. शिवनन्द पुत्र मुकन्दाराम, उम्र 80 वर्ष निवासी लाम्बी जाट, तहसील बुहाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान (मृतक)

2/1 महिपाल पुत्र स्व0 शिवनन्द, उम्र 49 वर्ष
2/2 सुरेन्द्र पुत्र स्व0 शिवनन्द, उम्र 47 वर्ष
2/3 कपील पुत्र स्व0 शिवनन्द, उम्र 38 वर्ष
निवासीगण लाम्बी जाट, तहसील बुहाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

2/4 श्रीमती सुलोचना पुत्री स्व0 शिवनन्द पत्नी ओमप्रकाश, उम्र 51 वर्ष, निवासी लाम्बी जाट हाल महिपाल बास, तहसील सूरजगढ़, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

2/5 श्रीमती इन्दू पुत्री स्व0 शिवनन्द पत्नी बलवीर, उम्र 44 वर्ष निवासी लाम्बी जाट, तहसील बुहाना हाल आबाद कैरवाली, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान

2/6 श्रीमती मुनेश पुत्री स्व0 शिवनन्द पत्नी देववत, उम्र 40 वर्ष, निवासी लाम्बी जाट, तहसील बुहाना हाल आबाद जांटों का बास, मलसीसर, जिला–झुंझुनू,

2/7 श्रीमती नवीता पुत्री स्व0 शिवनन्द पत्नी मदन, उम्र 34 वर्ष, निवासी लाम्बी जाट, तहसील बुहाना हाल आबाद दिलसर, तहसील मलसीसर, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

––अपीलार्थी/वादीगण

बनाम

01. बहादूर पुत्र फूलाराम, निवासी लाम्बी जाट, तहसील बुहाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान (मृतक)
    1/1 श्रीमती रेशमी देवी पत्नी स्व0 बहादूर, उम्र 60 वर्ष, निवासी लाम्बी जाट, तहसील बुहाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

02. रामप्रसाद पुत्र फूलाराम, निवासी लाम्बी जाट, तहसील बुहाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान
03. प्रदीप पुत्र स्व0 बहादूर, निवासी लाम्बी जाट, तहसील बुहाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान
04. भूपेन्द्र पुत्र स्व0 बहादूर, निवासी लाम्बी जाट, तहसील बुहाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान
05. अनिल पुत्र रामप्रसाद, निवासी लाम्बी जाट, तहसील बुहाना, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

––प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 16 मार्च, 2018 न्यायालय सिविल न्यायाधीश बुहाना, मूल दीवानी वाद संख्या–16/2012 (सीआईएस संख्या–15/2017) उनवानी पालाराम व अन्य बनाम बहादूर व अन्य, बाबत घोषणात्मक व आज्ञापक स्थाई निषेधाज्ञा, पीठासीन अधिकारी नारायण प्रसाद, आर0जे0एस0

उपस्थिति–

01. श्री लीलाधर सैनी – अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी/वादीगण
02. श्री सत्येन्द्र मान – अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::– दिनांक 12 मार्च, 2026

(01) अपीलार्थी/वादीगण पालाराम व अन्य की ओर से प्रथम दीवानी अपील अन्तर्गत धारा 96 आदेश 41 नियम 01 दीवानी प्रक्रिया संहिता इस न्यायालय के समक्ष पेश हुई। विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश बुहाना द्वारा स्वयं के यहां विचारित दीवानी मूल वाद संख्या 16/2012 बउनवानी पालाराम व अन्य बनाम बहादूर व अन्य, बाबत घोषणात्मक व आज्ञापक स्थाई निषेधाज्ञा, निर्णय दिनांक 16 मार्च 2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी/वादीगण की ओर से पेश वाद पत्र अस्वीकार कर खारिज कर दिया था। इसी आदेश से व्यथित होकर हस्तगत नियमित प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश हुई है। सुविधा की दृष्टि से अब पक्षकारों को उनके मूल नामों से ही सम्बोधित किया जायेगा।

(02) प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यानुसार–अपीलार्थी/वादीगण पालाराम व अन्य की ओर से हस्तगत वाद बाबत घोषणात्मक एवं आज्ञापक स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण बहादूर व अन्य विचारण न्यायालय के समक्ष संक्षिप्ततः इन अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किया कि––वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज मंगलाराम के वंशज है व लाम्बीजाट के स्थाई निवासी है। उक्त मुकन्दाराम व फुलाराम ने अपनी रिहायसी भूमि का पहले ही बंटवारा कर लिया था, भूखण्ड ''ए'' में उत्तरी हिस्सा प्रतिवादीगण व दक्षिणी हिस्सा वादीगण का, जिसका कोई विवाद नहीं है व भूखण्ड ''बी'' का उत्तरी हिस्सा वादीगण का व दक्षिणी हिस्सा प्रतिवादीगण का आया था जिसकी चार दिवारी कर दोनों पक्ष रहते आ रहे है। भूखण्ड ''बी'' के बारे में आज से चार वर्ष पूर्व पक्षकारान में विवाद हो गया था जिसमें गांव के मौजीज व्यक्तियों ने राजीनामा दिनांक 23.08.2009 को करवा दिया था जिसमें यह तय पाया था कि प्रतिवादीगण की बैठक जो उनके भूखण्ड के उत्तरी तरफ बनी हुई है उसके उत्तर में पांच फुट भूमि जो सामलाती रखा गया था जिसमें दोनों पक्षों को एक–दुसरे को रोकने से मना किया था, वादीगण ने उक्त विवादित भूखण्ड के पश्चिम की भूमि निमोदेवी से क्रय कर ली व चार दिवार निर्मित कर उनके दरवाजे पूर्व मुखी कर लिये व दोनों पक्षों द्वज्ञरा छोड़ी गई भूमि में दोनों पक्षों ने अपने–अपने दरवाजे निकाल लिये व वादीगण ने उक्त पांच फुट छोड़ी गई भूमि के अतिरिक्त अपनी भूमि में से इससे लगी हुई 14 फिट भूमि छोड़ दी, जिससे उन्हें उनके दक्षिणी भूखण्ड के पूर्व मुखी दरवाजों से आवागमन में कोई बाधा ना हो। प्रतिवादीगण ने उक्त राजीनामा में छोड़ी गई उक्त भूमि व वादीगण द्वारा छोड़ी गई गई उक्त भूमि में करीब एक माह पूर्व प्रतिवादीगण ने पत्थर डाल दिये व चार बार समझाने व रिश्तेदारों के द्वारा समझाने पर भी उक्त पत्थरों को नहीं उठा रहे है जिससे वादीगण को अपने पशु, उंटगाड़ी व ट्रेक्टर ले जाने में भारी दिक्कत हो रही है जबकि प्रतिवादीगण को उक्त सामलाती भूमि जो रास्ते के काम में आती है उसमें पत्थर डालकर रास्ते को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। जब वादीगण इन पत्थरों को उठाते है तो प्रतिवादीगण मारपीट करने व झगडा करने को आमादा हो जाते है। ऐसी परिस्थितियों में वादीगण के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो श्रीमान् जी से दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त उपयोग व रास्ते के लिए छोड़ी गई भूमि व अपनी स्वयं की भूमि को आवागमन व रास्ते की भूमि घोषित करवाये व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वो इस भूमि में पड़े पत्थरो को हटाये व वादीगण व उनके परिवार वालों को उक्त पत्थर उठाने से ना रोके व

वादीगण को उक्त भूमि में आवागमन करने व पशु, उंट गाड़ी, ट्रेक्टर ले जाने से ना रोके। वादीगण के पास कोई विकल्प भी अपने दक्षिण स्थित भूखण्डों में आने–जाने का नहीं है। उक्त वाद पूर्ण कोर्ट फीस पर है एवं न्यायालय श्रीमान् जी को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। अन्त में वादीगण ने निवेदन किया है कि दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण अधिकार घोषणा का इस प्रकार डिक्री किया जावे कि राजीनामा के अनुसार 05 फिट उत्तर दक्षिण छोड़ी गई भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की सामलाती भूमि है जिसमें आने–जाने का वादीगण को अधिकार है व उसके उत्तर में छोड़ी गई 14 फिट उत्तर दक्षिण व पश्चिम से पूर्व भूखण्ड ''ए'' तक वादीगण की स्वयं की है व जिसमें आवागमन करने का वादीगण को पूर्ण अधिकार है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण को व अपने परिवार वालों को आवागमन करने से ना रोके तथा प्रतिवादीगण द्वारा दावा प्रस्तुत करने के बाद दिनांक 30.12.2012 की रात्रि को लगाये गये दरवाजे को हटाया जावे व आवागमन पूर्व की भांती करवाया जावे तथा अन्य अनुतोष जो उचित हो, मांगे जाने से रह गया हो वह वादीगण को दिलवाया जावे।

(03) प्रतिवादीगण की ओर से वादोत्तर प्रस्तुत कर वादपत्र के अभिवचनों से सारतः इंकार करते हुये अभिवचन किया गया है कि उक्त खण्ड में दर्शाई गई वंशावली में महिला उत्तराधिकारियों को नहीं दर्शाया गया है जिसके अभाव में वाद पोषणीय नहीं है। उक्त भूखण्ड प्रतिवादीगण के कब्जे व स्वामित्व का है जिसे उक्त प्रतिवादीगण 50 वर्षों से शान्ति पूर्वक एवं लगातार उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादीगण के उक्त भूखण्ड के उत्तर में वादीगण की पुख्ता हवेली स्थित है जिसका मुख्य द्वार पूर्व में स्थित आम रास्ते मे खुलता है जिससे उक्त वादीगण आवागमन करते है। वादीगण की उक्त हवेली 50 वर्ष पुरानी है। प्रतिवादीगण का चार वर्ष पूर्व वादीगण से कोई विवाद नहीं हुआ ना ही दिनांक 23.08.2009 को गांव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा कोई राजीनामा करवाया गया न ही प्रतिवादीगण की बैठक के उत्तर में 05 फिट जगह सामलाती रखी गई। विवादित भूखण्ड के पश्चिम में स्थित भूमि वादीगण द्वारा श्रीमती निमो देवी से क्रय करना सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि श्रीमती सुनिता देवी ने क्रय की है जो वाद में पक्षकार नहीं है जिसके अभाव में वाद पोषणीय नहीं है। वादीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण के पश्चिम में निम्बो देवी की कृषि भूमि खसरा नं0 17 स्थित है जिसे वादीगण तथाकथित रूप से क्रय करना बताते है उक्त भूमि पर श्रीमती सुनिता पत्नी सुरेन्द्र ने पुख्ता चार दीवारी व मकान

दावा दायरी से एक माह पूर्व बना लिये एवं मुख्य द्वार दक्षिण में बना लिया। प्रतिवादीगण के भूखण्ड स्वयं रिहायशी मकानों में रात को आवारा पशु आदि घुस कर नुकशान कारित करते थे इस कारण से सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगण को अपने उत्तरी मुखी द्वार पर गेट लगाना आवश्यक हो गया था इसलिए प्रतिवादीगण ने दावा दायरी से पूर्व ही अपने उत्तरी निकाल पर लोहे का गेट लगवा दिया था। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण ने अतिरिक्त उत्तर में कथन किया है कि विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय भूमि दर्ज है एवं उक्त भूमि का स्वामित्व राजस्थान सरकार में निहित है अतः उक्त कारण से वाद में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है एवं राजस्थान सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना विधिक आवश्यक प्रावधान है जिसके अभाव में उक्त कारणों से वाद पोषणीय नहीं है। विवादित भूमि ग्राम पंचायत लाम्बी अहीर के आबादी क्षेत्र में स्थित है। वादीगण उक्त वादपत्र में स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक अनुतोष के माध्यम से प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली का अनुतोष प्राप्त करना चाहते है, उल्लेखनीय तथ्य यह है कि वाद वादीगण बेदखली का नहीं है अतः वाद विधि विरूद्ध होने के कारण पोषणीय नहीं है आदि। अतः वाद वादीगण विशेष व्यय सहित खारीज किया जावे।

(04) उभय पक्षों के अभिकथनों के आधार पर इस वाद में न्यायालय द्वारा निम्नांकित विवाद्यक विरचित किये गये–

01. आया ग्राम लाम्बी जाट स्थित वादीगण के मकान के उत्तर–दक्षिण व पश्चिम से पूर्व स्थित 14 फुट जगह वादीगण की एवं राजीनामा दिनांक 23.08.2009 के अनुसार 05 फुट उत्तर–दक्षिण वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती है, जिस पर वादीगण को आवागमन का अधिकार प्राप्त है ?

––वादीगण

02. आया प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र के पद सं0 03 में वर्णित भूमि पर वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में ''ए'' से ''बी'' स्थान पर लोहे का दरवाजा लगाकर वादीगण का आवागमन बाधित किया है, जिसको प्रतिवादीगण के खर्चे से हटाने व वादीगण के आवागमन में बाधा नहीं करने के संबंध में वादीगण, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है ?

––वादीगण

03. आया वादीगण का वाद आवश्यक पक्षकारान के असंयोजन व आवश्यक पक्षकारान राज्य सरकार व ग्राम पंचायत को आज्ञापक नोटिस दिए बिना प्रस्तुत करने के कारण खारिज होने योग्य है ?

––प्रतिवादीगण

04. आया वादीगण द्वारा बेदखली का वाक प्रस्तुत किए बिना, बेदखली का अनुतोष चाहा है, जो विधि विरूद्व होने से खारिज होने योग्य है ?

––प्रतिवादीगण

05. अनुतोष

(05) विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण की ओर से अपने अभिवचनो के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0ड0–01 शिवनन्द, पी0ड0–02 बीरबल, पी0ड0–03 सुरेन्द्र, पी0ड0–04 हीरासिंह को परीक्षित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में रिपोर्ट कमिश्नर प्रदर्श–03, विक्रय पत्र बहक सुनिता देवी प्रदर्श–04, एस.डी.एम. को पेश किया गया इस्तगासा प्रदर्श–05, जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 प्रदर्श–06 को प्रदर्शित कराया गया।

(06) विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की ओर से अभिवचनो के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में डी0ड0–01 भूपेन्द्र सिंह, डी0ड0–02 जयसिंह को परीक्षित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में नक्शा ट्रेस किश्तवार सत्य प्रमाणित प्रति गांव लाम्बी जाट प्रदर्श ए–01, जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 खाता सं0 09 ग्राम लाम्बी जाट प्रदर्श ए–02 को प्रदर्शित कराया गया।

(07) विचारण न्यायालय ने उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर दोनों पक्षों की साक्ष्य लिये जाने के पश्चात् दोनों पक्षों की बहस अंतिम सुनकर अपीलार्थी/वादीगण का वाद अस्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/वादीगण की ओर से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

(08) अपीलार्थी/वादीगण ने विवाद्यक संख्या 01, 02 व 05 के निर्णय के विरूद्व अपील मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत की है कि–विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री तथ्यों एवं विधि के विपरीत है। पक्षकारान के मध्य पश्चिम में बची भूमि का विवाद था। अपीलार्थी/वादीगण की हवेली भूखण्ड के उत्तर की तरफ थी व हवेली के साथ ही पूर्व–पश्चिम लगती हुई जो चौड़ाई में उत्तर–दक्षिण 14 फुट है, वादीगण के हिस्से की होना दर्ज किया था, इसके दक्षिण में 05 फुट भूमि दोनों पक्षों की आने जाने के लिए मानी गई थी व इस 05 फुट चौड़ी भूमि के दक्षिण में रेस्पोडेंट अपीलार्थी की बैठक है, जिसका दरवाजा पूर्वमुखी है। परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्य पर गौर नहीं किया। विचारण न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 01 का निर्णय दस्तावेजी साक्ष्य का कोई विवेचन नहीं कर केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर किया है। विचारण न्यायालय ने राजीनामा दिनांक 23.08.2009 को ही साक्ष्य में ग्राह्य मानकर दावा खारिज किया है। विचारण न्यायालय उक्त राजीनामा को साक्ष्य में ग्राह्य न मानते हुए

अपीलार्थी की हवेली के दक्षिण में 14 फुट चौड़ाई की भूमि के बारे में स्पष्ट निर्णय देना चाहिए था कि उक्त भूमि अपीलार्थी के हिस्से की है अथवा नहीं है। परन्तु विचारण न्यायालय ने केवल 05 फुट शामलाती भूमि के बारे में ही निर्णय दिया है। वादीगण ने उक्त 05 फुट चौड़ी छोड़ी गई भूमि के अतिरिक्त अपनी भूमि में से 14 फुट भूमि छोड़ दी, जिससे उन्हें उनके दक्षिणी–पश्चिमी भूखण्ड के पूर्वमुखी दरवाजों के आवागमन में कोई बाधा न हो। विचारण न्यायालय ने वादीगण के अनुतोष के खण्ड (क) में अंतिम तीन पंक्तियों के बारे में कोई निर्णय पारित नहीं किया, न ही तनकी बनाई कि उक्त भूमि को जब वादीगण अपने हिस्से में अपनी एकांकी मालिकाने की मानते हैं तो उसका दावे पर क्या प्रभाव है व उक्त भूमि वादीगण की है या नहीं। विचारण न्यायालय उक्त भूमि को वादीगण की मान लेता तो उक्त राजीनामा जिसे साक्ष्य में अग्राह्य माना उसका कोई प्रभाव ही नहीं था। इससे स्पष्ट है कि वादीगण के साथ न्याय नहीं हुआ और वे अपने स्वामित्व के अधिकार से वंचित हो गए। जब वादीगण की हवेली के दक्षिण में मुख्य दरवाजे जो पूर्वमुखी है हवेली व उससे पीछे पश्चिम की तरफ तक छोड़ी हुई है तो यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण था कि वादीगण उक्त भूमि को अपने अधिकारों के उपयोग उपभोग में लेने के लिए अधिकृत है अथवा नहीं, यदि है तो तनकी संख्या 02 वादीगण के पक्ष में निर्णित करनी चाहिए थी, परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि पूर्व में समस्त भूमि पक्षकारान की संयुक्त भूमि रही है। इसलिए धारा 13 सुखाधिकार अधिनियम के अनुसार आवागमन का अधिकार एक आवश्यक अधिकार है और यह अधिकार सुखाधिकार के सहस्य है, जिसमें 20 वर्ष से आवागमन करने का केई महत्व नहीं है। 20 वर्ष से आवागमन करने का अधिकार एक चिरकालीन सुखाधिकार के लिए ही आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श–03 पर कोई गौर नहीं किया, जिसमें वादीगण की हवेली के दक्षिण में 03 जंगले व दरवाजा है जो अपनी भूमि में है जो कि हवेली के साथ 14 फुट उत्तर–दक्षिण चौड़ाई में है व हवेली के पीछे पश्चिम में खाली भूमि व पूर्व में मुख्य दरवाजे तक लगती है, में आने जाने का अधिकार है। लिखावट दिनांक 23.08.2009 एक राजीनामा है व पंचों द्वारा किया गया है। राजीनामा सदैव ही झगड़े के बाद होता है इसलिए यह पंच फैसला होने से साक्ष्य में ग्राह्य है, फिर भी विचारण न्यायालय ने इसे अग्राह्य मानकर कानूनी भूल की है। अंत में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त कर वादीगण का दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया।

(09) अपील के दौरान प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से अपील में क्रोस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 03 का निर्णय प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित करने में कानूनी भूल कारित की है। उभयपक्षों के का स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि की स्वामी राजस्थान सरकार/ग्राम पंचायत लाम्बी अहीर है एवं वादी पक्ष ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपने हक व अधिकार का घोषणात्मक अनुतोष चाहा है। वादी ने उक्त अनुतोष सार्वभौम रूप से चाहा है। उक्त कारण से वाद में राजस्थान सरकार/ग्राम पंचायत लाम्बी अहीर आवश्यक पक्ष है एवं वाद दायरी से पूर्व उन्हें नोटिस दिया जाना आवश्यक प्रावधान है, जिसके अभाव में वाद वादीगण पोषणीय नहीं है। वादी पक्ष का यह स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के पत्थर दावा दायरी के एक माह पूर्व से ही पड़े हुए है। उभयपक्षों की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के पुराने कब्जे की भूमि है एवं वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादीगण 50 वर्षो से भी अधिक समय से शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण के वादग्रस्त भूमि पर स्थित तामरात के सामान व अन्य वस्तुओं को हटाया जानेका अनुतोष वादी पक्ष द्वारा नहीं चाहा गया है। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के मद्देनजर स्थाई निषेधाज्ञा के बाद द्वारा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता एवं वादी पक्ष द्वारा बेदखली का अनुतोष मांगा जाना विधि का आवश्यक प्रावधान है, जिसके अभाव में वाद पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 04 का उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के मद्देनजर न कर एवं काल्पनिक तथ्यों पर आधारित होकर विनिश्चय कर कानूनी भूल कारित की है। अतः प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत क्रोस ऑब्जेक्शन स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 03 व 04 के संबंध में पारित आदेश अपास्त कर तदनुरूप निर्णय विचारण न्यायालय संशोधित किया जावे एवं विचारण न्यायालय का शेष निर्णय यथावत रखा जावे।

(10) उपरोक्त क्रोस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्र का अपीलार्थी/वादीगण की ओर से जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण ने उनके विरूद्व निर्णित हुई तनकी संख्या–03 के निर्णय व निष्कर्ष को निरस्त कराने के लिए यह क्रोस ऑब्जेक्शन पेश किया है। उक्त तनकी प्रतिवादीगण के जबाब दावे के आधार पर बनी है। प्रतिवादीगण ने राज्य सरकार व ग्राम पंचायत को आवश्यक पक्षकार बनाने की आपत्ति ली थी, जिसके लिए प्रतिवादीगण ने यह भी उल्लेखित किया था, कि उक्त दोनो को नोटिस देकर ही दावा उनके विरूद्व किया जा

सकता था, जो वादीगण ने नहीं किया, इसलिए वादीगण का दावा इस आधार पर ही खारिज होने योग्य है। वादीगण का दावा इस प्रकार का है, कि पहले उएक्त भूखण्ड पक्षकारान का शामलाती था व विभाजन दिनांक 23.08.2009 के अनुसार भूखण्ड ''ए'' जो पूर्व दिशा में है, उसका उत्तरी हिस्सा प्रतिवादीगण का व दक्षिणी हिस्सा वादीगण का है, व भू–खण्ड ''बी'' का हिस्सा वादीगण की हवेली के साथ 14 फिट चौड़ा व उसके दक्षिण में 05 फिट चौड़ी शामलाती जगह व उसके दक्षिण में प्रतिवादीगण की बैठक हैं। वादीगण ने उक्त भूखण्ड को पक्षकारान के पूर्वज मगंलाराम का होना दर्ज किया था, व राजीनामा दिनांक 23.08.2009 के अनुसार माना था। उक्त लिखावट दिनांक 23.08.2009 बिना स्टाम्प व बिना पंजीकृत होने से वादीगण का दावा खारिज किया गया। इसलिए उक्त भूखण्ड पुश्तैनी है व मगंलाराम के जीवनकाल से है। राज्य सरकार व ग्राम पंचायत दावे में आवश्यक पक्षकार नहीं है। इसलिए प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण का तनकी संख्या–03 का क्रोस ऑब्जेक्शन खारिज होने योग्य है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण ने तनकी संख्या 04 के निर्णय के विरूद्ध भी आपत्ति ली है। अपीलार्थी/वादीगण का दावा इस बारे में इस प्रकार था कि प्रतिवादीगण ने शामलाती भूमि में पत्थर कुड़ी डाल दी हैं, जो अस्थाई रूप की होती है, जिसके लिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अभिवचन अपने दावे में दर्ज किए थे। विचारण न्यायालय ने इस तनकी को आज्ञापक स्थाई निषेधाज्ञा की मानकर उक्त पत्थर कुड़ी आदि को हटाने का व बेदखल करने का एक ही प्रभाव माना है, इससे प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण का क्रोस ऑब्जेक्शन मय खर्चा अस्वीकार किया जावे।

(11) दौराने बहस अपीलार्थी/वादीगण की ओर से अपील में प्रस्तुत किये गये आधारों को दोहराते हुये अपीलार्थी/वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्क के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए गए–

01. AIR 1971 Rajasthan 149, Furkan Vs Mst. Mumtaz Begam

02. AIR 1992 Patna 128, Jugal Kishore Singh Vs Gobind Singh

03. AIR 1988 Karnataka 174, B.B. Bangarshettar Vs K.T. Pattanshetti

04. AIR 1971 SC 376, Maharajadhiraj Udaychand Vs Subodh Gopal

05. AIR 1985 Madras 283, Rukmani Vs H.N.Thirumalai Chettiar

06. AIR 1997 SC 1333, Sher Singh Vs Gamdoor Singh

07. AIR 1993 Karnataka 148, Dandappa R. Hampali Vs Renukappa

08. AIR 1986 Orissa 281, Managobinda Vs Brajabandhu Misra

09. AIR 1986 Patna 78, Raghubar Dayal Vs Ramekbal Sah

10. AIR 1986 Punjab and Haryana 89, Karam Dass Vs Som Prakash

11. AIR 2000 Madras 60, Chandranathan Vs Esthar Rani

(12) उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुरूप है, जिसमें हस्ताक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

(13) अब न्यायालय को देखना यह है कि ''क्या विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कोई विधिक व तथ्यात्मक भूल की गई है और परिणामतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है ?''

(14) उभयपक्षों के तर्को पर मनन किया गया। विचारण न्यायालय की ओर से पारित आक्षेपित निर्णय का, अपील मेमो में प्रस्तुत किये गये आधारों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के अन्तर्गत विवेचन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। विवाद्यकों के संबंध में न्यायालय का विवेचन निम्नांकित है–

विवाद्यक संख्या 01

(15) इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादीगण पर रहा है। वादी साक्षी पी0ड0–01 शिवनन्द अपने साक्ष्य शपथ पत्र में वादपत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी स्वीकार करते हैं कि विवादित जगह व रिहायशी भूमि का पट्टा उनके पास नहीं है और विवादित जमीन ग्राम पंचायत लाम्बी अहीर की है। विवादित जमीन खसरा नम्बर 33 में अंकित है, जो आबादी भूमि है। साक्षी स्वीकार करते है कि राजस्व रिकार्ड में विवादित जमीन व उनके रिहायशी मकान राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है। साक्षी स्वीकार करते है कि उनके मकान से पश्चिम व दक्षिण में निम्बो देवी की जमीन है जो खसरा नम्बर 17 है या नहीं उसे ध्यान नहीं। निम्बो देवी का विवादित जगह से कभी कोई रास्ता नहीं था। उनकी पुरानी हवेली 50–60 वर्ष पुरानी है। उनकी हवेली का मुख्य दरवाजा पूर्व की तरफ है और उनका मुख्य

दरवाजे से आना जाना रहा है। दक्षिण की तरफ एक दरीचीनुमा गेट है। बहादूर सिंह के परिवार से दक्षिणी दरीची से ही उनका आना जाना था। इस सुझाव से इंकार किया कि प्रारम्भ से ही बहादूर व रामप्रसाद के पशु बंधते आए हो। प्रदर्श–04 में दिनांक 28.05.2012 को निम्बो देवी द्वारा खरीदने का तथ्य दर्ज है, परन्तु उन्होंने जमीन पहले से खरीद ली थी। वर्ष 2010 में बाउण्डरी वाल निकाल ली थी और गेट भी चढ़ा लिए थे। साक्षी स्वीकार करते है कि वर्ष 2010 में बाउण्डरी वाल निकालने की बात उन्होंने वादपत्र में दर्ज नहीं कराया। साक्षी स्वीकार करते है कि कमिश्नर गया तब निम्बो देवी के क्रयशुदा भूमि पर गेट लगे हुए थे। दिनांक 23.08.2009 को हुए राजीनामा में रोशनलाल, मास्टर लीलाधर उर्फ सोहनलाल थे, बाकी घर के आदमी थे। वर्ष 2009 में नीमों द्वारा दी गई जमीन में कोई मकान नहीं बना था, न ही बाउण्डरी बनी थी। उनके मकान पश्चिम में बाड़े को छोड़कर नीमों देवी की खातेदारी की जमीन है। उनका बाड़ा 10 फीट के लगभग चौड़ा है, जो आगे जाकर कम हो जाता है। उसे नहीं पता कि बहादूर आदि का भूखण्ड कितना लम्बा चौड़ा है, दोनों की जमीन आधी आधी थी। इस सुझाव से इंकार किया कि उन्होंने वर्ष 2012 में निर्माण कार्य निम्बो देवी के खरीदशुदा भूखण्ड में रास्ता कायम करने के लिए झूंठा मुकदमा किया हो।

(16) साक्षी पी0ड0–02 बीरबल वादी पालाराम का पुत्र है, जो अपने साक्ष्य शपथ पत्र में वादपत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है। उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि वह वाद वर्णित हवेली में नहीं रहता, वह 03 वर्ष से सांवल की ढाणी में मकान बनाकर रह रहा है। विवादित जगह के पास हवेली है, वहां पर कोई प्लॉट नहीं है। हवेली का मुख्य दरवाजा पूर्व की तरफ है और हवेली में आने जाने का मुख्य दरवाजा पूर्व की तरफ ही है। उक्त साक्षी स्वीकार करते है कि दक्षिण में दरीचीनुमा गेट है। साक्षी स्वीकार करते है कि गांव में आने जाने के लिए मुख्य दरवाजे से ही आते हैं, दरीची वाले रास्ते से नहीं जाते। इस सुझाव से इंकार किया कि दरीची वाला गेट बहादूर के मकान में आने जाने के लिए बना रखा हो। हवेली की लम्बाई चौड़ाई कितनी है, उसे नहीं पता। साक्षी स्वीकार करते है कि दक्षिण में स्थित जमीन कितनी लम्बी चौड़ा है, वह नहीं बता सकता। साक्षी स्वीकार करते है कि विवादित जमीन व हवेली एवं भूखण्ड ग्राम पंचायत लाम्बी अहीर की जमीन में बने हुए हैं। उसे नहीं पता कि निम्बो देवी से जमीन कब खरीदी थी। निर्माण कार्य वर्ष 2012 में किया था, उससे पहले एक प्लाट का वर्ष 2010 में हुआ था। इस सुझाव से इंकार किया कि प्लॉट के दक्षिण में कोई कटान का रास्ता हो।

मकान की निर्माण सामग्री दक्षिण से आई थी, कोई रास्ता नहीं था। वर्तमान में खाली भूमि में प्रतिवादीगण के पशु जबरदस्ती बंधते हैं। साक्षी स्वीकार करते है कि विवादित जमीन में बहादूर आदि के पत्थर पड़े हुए हैं, जो एक माह पहले पड़े हुए हैं। इस सुझाव से इंकार किया कि वर्ष 2012 में निम्बो देवी के खरीदशुदा प्लॉट के लिए रास्ता कायम करने के लिए विवादित जमीन के लिए उन्होंने यह झूंठा मुकदमा किया हो।

(17) साक्षी पी0ड0–03 सुरेन्द्र अपने साक्ष्य शपथ पत्र में वादपत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी स्वीकार करते है कि दिनांक 28.05.2012 को उन्होंने पश्चिमी भूखण्ड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीदा। उनकी हवेली के दक्षिण में विवादित जगह में से निम्बो देवी का कभी भी आना जाना या रास्ता नहीं रहा। साक्षी स्वीकार करते है कि हवेली का मुख्य दरवाजा पूर्व की तरफ है,जिससे गांव में आना जाना हवेली बनी उसी समय से आ रहा है। हवेली को बने हुए 50 वर्ष हो गए। इस सुझाव से इंकार किया कि विवादित जमीन 50 वर्षो से बहादूर, रामप्रताप व उनके वंशजों का कब्जा हो, उनके पशु वगैरा बंधते हो और उन्हीं का कब्जा हो। साक्षी स्वीकार करते है कि दरीचीनुमा गेट से बहादूर, रामप्रसाद आदि के घर जाने जाने व सम्पर्क का रास्ता था, अजखुद कहा कि उक्त दरवाजा पश्चिम में जो बाड़ा था, उसमें जाने के लिए सुविधा के लिए रखा गया था। साक्षी स्वीकार करते है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार उनकी हवेली के पश्चिम में निम्बो देवी की कृषि भूमि है। निम्बो देवी दक्षिण में मियाल होती हुई आगे पगडण्डी के रास्ते में चली जाती है। साक्षी स्वीकार करते है कि वर्तमान में विवादित भूमि में प्रतिवादी के पशु व पत्थर पड़े हैं। इस सुझाव से इंकार किया कि उन्होंने प्रतिवादीगण से दुर्भावनापूर्वक प्रतिवादीगण की जमीन में उन्होंने झूंठा रास्ता कायम किया हो।

(18) साक्षी पी0ड0–04 हीरा सिंह भी अपने साक्ष्य शपथ पत्र में वादपत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताते है कि हवेलीर का मुख्य दरवाजा पूर्व में है और पूर्व के रास्ते सेही वे गांव में जाते थे। हवेली के पश्चिम में निम्बो देवी की जमीन है। साक्षी स्वीकार करते है कि निम्बो देवी अपने खेत में दक्षिण से आती जाती है, जो कटान का रास्ता है। सुरेन्द्र ने मकान वर्ष 2012 में बनाए थे। निर्माण सामग्री दक्षिणी व पूर्वी दोनों रास्ते से आई थी।

(19) प्रतिवादीगण की ओर से साक्षी डी0ड0–01 भूपेन्द्र सिंह को परीक्षित करवाया गया है। उक्त साक्षी ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में जवाब वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताते है कि उनका हिस्सा पूर्वी दिशा के उत्तरी साईड के हिस्से में 60 वर्ष

से कब्जा है। बैठक का दरवाजा पूर्व दिशा में है। इस सुझाव से इंकार किया कि शिवनन्द ने गेट पिछवाड़े में जाने के लिए छोड़ा हो बल्कि उनके बीच सम्पर्क के लिए छोड़ा था। शिवनन्द के मकान 50–60 वर्ष पुराने बनाए हुए हैं। इस सुझाव से इंकार किया कि शिवनन्द की हवेली से 14 फुट जगह शिवनन्द की बची हो और उससे आगे 05 फुट जगह राजीनामा के तहत शामिल की बची हो। उत्तरी गेट से शिवनन्द आदि का आना जाना नहीं था। इस सुझाव से इंकार किया कि खरीदे हुए प्लाट में शिवनन्द आदि की भूमि भी शामिल हो। साक्षी स्वीकार करते है कि कटान का रास्ता 17 नम्बर के टच नहीं होता। इस सुझाव से इंकार किया कि दिनांक 23.08.2009 को उनके व शिवनन्द आदि के बीच में वाद वर्णित जगह के लिए कोई लिखावाट की हो। साक्षी स्वीकार करते हे कि अब भी उस जगह में ट्रेक्टर आदि खडे कर रखे हैं और पत्थर डाल रखे हैं।

(20) साक्षी डी0ड0–02 जय सिंह अपने साक्ष्य शपथ पत्र में जवाब वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताते है कि शिवनन्द उत्तर में तथा बहादूर दक्षिण दिशा में बसा है। साक्षी स्वीकार करते हे कि शिवनन्द के मकानों में दक्षिण में एक दरीची है। शिवनन्द का बाड़ा नहीं है, वह निम्बो देवी का खेत था जो अब प्लॉट लिया है।

(21) उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने राजीनामा दिनांक 23.08.2009 के आधार पर विवादित भूखण्ड का दक्षिणी 05 फुट का हिस्सा दोनों पक्षों का शामलाती होना तथा उक्त भूखण्ड के उत्तर में 14 फीट की भूमि वादीगण की होनी बतायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजीनामा दिनांक 23.08.2009 स्टाम्पित व रजिस्ट्रकृत दस्तावेज नहीं है। इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा भी दिनांक 25.04.2016 को आदेश पारित कर राजीनामा दिनांकित 23.08.2009 को साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं माना है। ऐसी स्थिति में राजीनामा दिनांकित 23.08.2009 साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं होने से विवादित भूखण्ड उनकी भूमि के रूप में काम में लेते आने, विवादित भूखण्ड का दक्षिणी 05 फुट का हिस्सा शामलाती होने व उसके उत्तर का 14 फीट का हिस्सा उनका रहा हो, का तथ्य वादीगण को अपनी मौखिक साक्ष्य से साबित करना था। साक्षी पी0ड0–01 शिवनन्द मुख्य परीक्षण में उनकी हवेली का मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा में तथा गांव में उनका आना–जाना पूर्व दिशा के गेट से ही होना बताता है। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में दक्षिण की तरफ दरीचीनुमा जो दरवाजा है वह गांव में आने–जाने के रूप में काम में नहीं लिया जाता

था। वादीगण ने विवादित भूखण्ड के पश्चिम में निम्बो देवी से भूमि क्रय करना व चार दीवारी निर्मित कर पूर्वीमुखी दरवाजा करना तथा छोड़ी गई भूमि पर दोनों पक्षकारों द्वारा अपने अपने दरवाजे निकालना बताया है। वादीगण ने यह भी बताया है कि उक्त 05 फिट छोड़ी गई भूमि के अतिरिक्त अपनी भूमि में से इससे लगती हुई भूमि 14 फिट भूमि छोड़ दी जिससे कि उन्हे उनके दक्षिण भूखण्ड के पूर्व मुखी दरवाजे से आवागमन में कोई बाधा ना हो, परन्तु वादीगण ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनके द्वारा निम्बो देवी से उक्त भूखण्ड कब क्रय किया गया तथा वे कब से विवादित भूखण्ड को काम में लेते आ रहे है। यहां यह उल्लेखनीय है कि साक्षी पी0ड0–01 शिवनन्द के प्रतिपरीक्षण से उक्त भूखण्ड सन् 2012 में निम्बो देवी से खरीदना प्रगट होता है। परन्तु उक्त भूखण्ड खरीदने से पहले वादीगण उक्त भूखण्ड से आते जाते हो और वादीगण विवादित रास्ते से होकर खरीदशुदा भूखण्ड में जाते हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। साक्षी पी0ड0–01 शिवनन्द प्रतिपरीक्षण में वर्ष 2010 में बाउण्डरी वॉल निकालना, जिस पर गेट चढ़ा लेना बताते हैं, परन्तु साक्षी इस तथ्य को स्वीकार करते है कि वर्ष 2010 में बाउण्डरी वॉल निकालने की बात वादपत्र में दर्ज नहीं करवाया। यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि वादीगण विवाद होने से पूर्व से ही विवादित भूखण्ड से अपने उक्त खरीदशुदा भूखण्ड में आना–जाना करते रहे हो तो निश्चित रूप से उनके द्वारा उक्त तथ्य का अपने वादपत्र या शपथ पत्र में उल्लेख किया जाता, परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। साक्षी पी0ड0–01 शिवनन्द ने प्रतिपरीक्षण में विवादित जगह व रिहायशी भूमि का उनके पास कोई पट्टा नहीं होना, राजस्व रिकार्ड में विवादित जमीन व रिहायशी मकान राजकीय भूमि दर्ज होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी ने दोनों पक्षों की विवादित जमीन आधी आधी भूमि होना बताया है, परन्तु दोनों पक्षों के भूखण्ड का कोई माप दर्शित नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता कि दोनों पक्ष कितने–कितने क्षेत्रफल के भूखण्ड पर काबिज है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण ने विवादित भूखण्ड प्रदर्श–04 के माध्यम से खरीदना बताया है और हस्तगत वादपत्र भी वर्ष 2012 में प्रस्तुत किया है। यदि उक्त भूखण्ड पहले से ही वादीगण के कब्जे में होता तथा वे विवादित भूखण्ड से आना–जाना कर रहे होते तो इस तथ्य का उल्लेख उनके द्वारा वादपत्र में अवश्य रूप से किया जाता। इस प्रकार विवादित भूखण्ड का 05 फुट का दक्षिणी भाग उनका सामलाती हो तथा 14 फिट का उत्तरी भाग राजीनामा के आधार पर वादीगण का हो, प्रमाणित नहीं होता है।

(22) साक्षी पी0ड0–02 बीरबल प्रतिपरीक्षण में प्लॉट के दक्षिण में कोई कटान का रास्ता होने से इंकार करता है, परन्तु उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार करता है कि मकान की निर्माण सामग्री दक्षिण से आई थी। जब दक्षिण में कोई कटान का रास्ता ही नहीं है तो मकान निर्माण की सामग्री किस रास्ते से आई, यह स्पष्ट नहीं होता है। प्रतिवादीगण का यह कहना था कि वादीगण द्वारा निम्बो देवी से क्रयशुदा भूखण्ड का दक्षिण में कटान का रास्ता है तथा वादीगण उक्त भूमि में आने जाने के लिए प्रतिवादीगण की भूमि में से रास्ता मांगने हेतु यह झूंठा वाद पेश किया है। जबकि साक्षी पी0ड0–02 बीरबल प्रतिपरीक्षण में उक्त प्लॉट के दक्षिण में कटान का रास्ता नहीं होना बताता है। परन्तु साक्षी पी0ड0–04 हीरा सिंह प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते है कि उक्त खरीदखुदा भूखण्ड के दक्षिण में सुखराम की जमीन से आगे कटान का रास्ता 31/2 व 31/3 है। इस प्रकार वादीगण के पास उक्त खरीदशुदा भूखण्ड के उपयोग उपभोग के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं हो, ऐसा प्रगट नहीं होता है। जहां तक सुखधिकार का प्रश्न है। सुखाधिकार के लिए 20 वर्ष या उससे अधिक समय से शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग किया जाना आवश्यक होता है, परन्तु वादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से 20 वर्ष या उससे अधिक समय से वादीगण को सुखाधिकार का प्रयोग करते हुए हो गए हो, ऐसा प्रमाणित नहीं होता है क्योंकि वादीगण द्वारा वर्ष 2010 में विवादित भूखण्ड खरीद किया गया था। ऐसी स्थिति में वादीगण को कोई सुखाधिकार प्राप्त हुआ हो, ऐसा प्रमाणित नहीं होता है।

(23) वादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजीसाक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि ग्राम लाम्बी जाट स्थित वादीगण के मकान के उत्तर–दक्षिण व पश्चिम से पूर्व स्थित 14 फुट जगह वादीगण की एवं राजीनामा दिनांक 23.08.2009 के अनुसार 05 फुट उत्तर–दक्षिण वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती हों, जिस पर वादीगण को आवागमन का अधिकार प्राप्त हो। विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 01 में जो निष्कर्ष पारित किया गया है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 01 के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष की पुष्टि करते हुए यह विवाद्यक संख्या 01 अपीलार्थी/वादीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 02

(24) इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर है। जब वादीगण का विवादित

भूखण्ड पर अपना व प्रतिवादीगण का शामलती स्वामित्व का बिन्दू साबित नहीं है तो ऐसी स्थिति में वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व विवादित भूखण्ड के संबंध में किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 02 में जो निष्कर्ष पारित किया गया है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 02 वादीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 03

(25) इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूखण्ड सरकारी भूमि है और विवादित भूखण्ड आबादी क्षेत्र में है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में उक्त भूमि का स्वामित्व निहित है, जिसके पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। यहां यह उल्लेखनीय है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 35 के अनुसार घोषणा का प्रभाव वाद के पक्षकार व उनके हित प्रतिनिधियों तक ही सीमित है। यदि वादीगण के पक्ष में घोषणा की जाती है तो वह राज्य सरकार अथवा ग्राम पंचायत पर बाध्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में इनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 03 में जो निष्कर्ष पारित किया गया है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 03 वादीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 04

(26) इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादीगण की ओर से हस्तगत वाद घोषणात्मक व आज्ञापक स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। वादीगण की ओर से बेदखली का कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया। यहां भी उल्लेखनीय है कि वादीगण ने अपने वादपत्र के अनुतोष खण्ड के ''घ'' बिन्दू में यह अंकित किया कि अन्य कोई अनुतोष, जो उचित हो व मांगे जाने से रह गया हो वह भी वादीगण को दिलाया जाये। ऐसी स्थिति में केवल मात्र शीर्षक में बेदखली शब्द नहीं लिखे जाने से यह नहीं माना जा सकता कि वादीगण का यह वाद बेदखली बाबत् ना हो तथा वे उक्त अनुतोष की याचना नहीं कर सकते। इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 04 में जो निष्कर्ष पारित किया गया है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 04 वादीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

(27) अपीलार्थी/वादीगण की ओर से अपील के अन्तर्गत जो आधार प्रस्तुत किए गए हैं, उन पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार किए जाने पर उपरोक्त आधार स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

(28) विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर विस्तृत विवेचन करते हुए निष्कर्ष पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि होना प्रगट नहीं होता है। अतः अपील अस्वीकार किए जाने योग्य है। साथ ही प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत क्रोस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

(29) परिणामतः अपीलार्थी/वादीगण पालाराम व अन्य की ओर से प्रस्तुत हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 96 सपठित आदेश 41 नियम 01 दीवानी प्रक्रिया संहिता विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण बहादूर व अन्य अस्वीकार की जाती है।

(30) इसी प्रकार प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत क्रोस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

(31) विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश बुहाना द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 मार्च, 2018 की पुष्टि की जाती है।

(32) अपील खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

(33) विचारण न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की एक प्रति के साथ तुरन्त लौटाई जावे।

(प्रेम सिंह धनवाल)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01
खेतड़ी जिला–झुन्झुनूं

(34) निर्णय आज दिनांक 12 मार्च, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रेम सिंह धनवाल)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01
खेतड़ी जिला–झुन्झुनूं